




## फर्द अहकाम

अनवान:- विश्वविजय सिंह बनाम काना व अन्य  
किस्म मुकदमा:- अपील राजस्व पत्रावली संख्या 28/2013

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई।
	<p><b>12.03.2022</b></p> <p>पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच में पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी श्री संजय बोहरा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट तथा विपक्षी के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझाईश कर ली है इस कारण उक्त अपील में अपीलाण्ट कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः अपील फैसल की जाने का आदेश करावे।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट विपक्षी के विरुद्ध अपासी समझाईश हो जाने से कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी एवं विपक्षी के मध्य लोक अदालत की भावना से समझाईश हो गयी है। अपीलाण्ट अपील में कोई आगामी कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 में स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई।</p> <p> Adl.</p> <p> <b>अशोक कुमार</b> अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत</p> <p> <b>शिव सिंह चौहान</b> सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत</p>

